संख्या- 16/2018/589/38-4-18-75(विविध)/2014 टी0सी0

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊ::दिनांक 23 मई, 2018

विषय- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन में लाभुक की मृत्यु से संबन्धित स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग के पत्र संख्या-2360/वि.का./प्र.मं.आ.यो.-ग्रा./2017(54), दिनांक 26.12.2017 के साथ संलग्न शासन के आदेश संख्या-भा.स.-373/38-4-17-14(विविध)/2016 टी.सी.-।। दिनांक 18.12.2017 एवं संयुक्त सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली के पत्र संख्या- जे.11012/02/2016-आरएच, दिनांक 04.12.2017 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें, जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत चिन्हित लाभार्थियों की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारियों को आवास के आवंटन/अवशेष धनराशि की अवमुक्ति के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में शासन के उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 18.12.2017 में निम्न व्यवस्था की गयी है:-

(क) क्या लाभुक (घर का मुखिया) की मृत्यु हो जाने पर पति/पत्नी को लाभान्वित किया जा सकता है?

<u>स्पष्टीकरण:</u> पति या पत्नी, जिनका नाम एसईसीसी डेटाबेस में उसी घर के अन्तर्गत है, उनको लाभ दिया जा सकता है।

(ख) क्या लाभुक (घर का मुखिया) पति तथा पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाने पर, अन्य आश्रितों को लाभान्वित किया जा सकता है?

<u>स्पष्टीकरण:</u> परिवार के आश्रित सदस्य, जिनका नाम एसईसीसी डेटाबेस में उसी घर के अन्तर्गत है, उनको लाभ दिया जा सकता है।

(ग) क्या लाभुक (घर का मुखिया) पति तथा पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाने पर, अवयस्क बच्चों को लाभान्वित किया जा सकता है?

<u>स्पष्टीकरण:</u> अवयस्क बच्चों, जिनके नाम एसईसीसी डेटाबेस में उसी घर के अन्तर्गत प्रदर्शित हो रहे हैं, के नाम पर अभिभावक, ब्लाक/पंचायत अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से लाभ दिया जा सकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय प्रकरणों में विकास खण्ड स्तर पर वैध उत्तराधिकारियों को उक्त प्राविधानानुसार आवासीय/अवशेष धनराशि की सुविधा दिलाये जाने में विलम्ब किया जा रहा है। अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त सन्दर्भित आदेशों के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत लाभार्थियों की मृत्यु हो जाने पर उनके वैध उत्तराधिकारी को निर्धारित व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक दशा में **एक माह** के अन्दर उक्त सुविधायें उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त

भवदीय,
अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव

संख्या- 16/2018/589(1)/38-4-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1-आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
2-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3-समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4-समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
5-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अच्छे लाल सिंह यादव
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।